प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री जयपाल, जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री जयपाल, जो-सुल्तानपुर बिलौनी, थाना-छतारी, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05-08-1979 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर 08 माह की गर्भवती महिला श्रीमती तारावती के साथ बलात्कार किया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-415/1980 में भा0द0वि0 की धारा-376, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, बुलन्दशहर के दण्डादेश दिनांक 02.09.1982 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15-09-2015 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2022 तक अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 06 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी भूरा पुत्र श्री जयपाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-10-2022 तक अपरिहार 06 वर्ष 10 माह 08 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष 06 माह 03 दिन भोगी गयी सजा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भूरा (बन्दी संख्या-17447) पुत्र श्री जयपाल, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-164/2026/1817(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।